Original Article
ISSN(Online): 3139-4434
https://ijeagr.com/

International Journal of Educational Analysis and Global Research
International Open Access, Peer-Reviewed, Refereed Journal
Volume 01, Issue 03, August 2026

विद्यालयी गुणवत्ता प्रबंधन में विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका

[1] डॉ० संजय कुमार स्वर्णकार, [2] डॉ० सुषमा वर्मा

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, बी० एड० विभाग, उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी।

[2]सहायक अध्यापिका, यू० पी० एस० मंचितपुर, अमावां, रायबरेली।

Email: drsanjayupc@gmail.com

सारांश :

यह शोध आलेख भारत में शिक्षा की गुणवत्ता की चुनौतियों और विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है, लेकिन भारत में यह सीखने के खराब परिणामों (ASER 2024 रिपोर्ट) और जीडीपी का कम खर्च (4.6%) जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य विद्यालय के कार्यों में समुदाय और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके गुणवत्ता में सुधार करना है। विद्यालय प्रबंध समिति की मुख्य भूमिकाओं में विद्यालय विकास योजना (SDP) का निर्माण, सरकारी अनुदान का पारदर्शी प्रबंधन, और शिक्षक-छात्र उपस्थिति की निगरानी शामिल है; हालाँकि, जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी तथा सहयोग का अभाव इसकी प्रभावशीलता में बाधक हैं। अतः विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्ण क्षमता को साकार करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण, बेहतर जवाबदेही तंत्र, और पर्याप्त संसाधन आवंटित करना आवश्यक है।

मुख्य शब्दावली- *गुणवत्ता प्रबंधन, समुदाय, विद्यालय प्रबंध समिति, मानव संसाधन विकास।*

Received 10 August 2026
Accepted 15 August 2026
Published 25 August 2026

Corresponding Author:
डॉ० संजय कुमार स्वर्णकार
Email: drsanjayupc@gmail.com

Doi: https://doi.org/10.64880/ijeagr.v1i3.09
Funding: This research received no specifics grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s). This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License.

OPEN ACCESS

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति और विकास का आधार स्तंभ है। यह व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से सशक्त बनाती है, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए बल्कि राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए भी अपरिहार्य है। शिक्षा तार्किकता, रचनात्मकता और समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देती है, जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। भारत में शिक्षा ने हाल के वर्षों में पहुँच और साक्षरता दर में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2009 के शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया, जिससे नामांकन दर एवं ठहराव में वृद्धि हुई। हालांकि, वर्तमान शैक्षिक स्थिति कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है।

ASER 2024 की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के केवल 23.4% छात्र ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं, जो खराब सीखने के परिणामों को दर्शाता है।

वर्तमान में शैक्षिक चुनौतियों में बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की कमी और उनके प्रशिक्षण का अभाव, परीक्षा-केंद्रित रटने की प्रणाली, और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों के बीच गुणवत्ता में असमानता शामिल हैं। जीडीपी का केवल 4.6% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6% के लक्ष्य से काफी कम है। इन चुनौतियों का समाधान करके ही भारत अपनी युवा आबादी के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठा सकता है और एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकता है।

यूनेस्को (UNESCO) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षार्थियों को उनके पूर्ण क्षमता तक पहुँचने में मदद करती है, उन्हें ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण प्रदान करती है जो उन्हें सफल जीवन जीने और अपने समुदायों में योगदान करने के लिए आवश्यक हैं। इसमें सीखने का वातावरण, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, शिक्षकों की योग्यता और प्रतिबद्धता, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता, और छात्रों के समग्र विकास जैसे पहलू शामिल हैं। विद्यालयी गुणवत्ता को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें शिक्षकों की योग्यता और प्रेरणा, पर्याप्त भौतिक बुनियादी ढाँचा, नवीन शिक्षण-अधिगम सामग्री, प्रभावी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, और छात्रों की उपस्थिति व सहभागिता प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी विद्यालय के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करती है। यहीं पर विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत में विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) की अवधारणा कोई नई नहीं है, लेकिन इसे शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत एक संवैधानिक और अनिवार्य रूपरेखा मिली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 21 प्रत्येक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन को अनिवार्य करती है, जिसका उद्देश्य विद्यालय के कामकाज में समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। विद्यालय प्रबंध समिति में 75% सदस्य अभिभावक होते हैं, जिनमें से कम से कम आधे महिलाएँ होनी चाहिए। इसका प्रमुख कार्य विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी निगरानी करना, विद्यालय अनुदान का उपयोग सुनिश्चित करना, और बच्चों के अधिकारों की निगरानी करना है। आरटीई से पहले भी, पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के प्रयास किए गए थे, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने इसे एक कानूनी अधिदेश प्रदान कर एक मजबूत आधार प्रदान किया। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने विशिष्ट नियमों और दिशानिर्देशों के साथ आरटीई प्रावधानों को लागू किया है, जिससे उनके गठन और कार्यप्रणाली में कुछ भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं (कुमार, 2012)। विभिन्न अध्ययनों (जैसे, श्रीवास्तव, 2010; सिंह, 2015) ने इंगित किया है कि केवल नामांकन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; वास्तविक शिक्षा तभी होती है जब सीखने के परिणाम सार्थक हों। एसएमसी के गठन से छात्रों की उपस्थिति में सुधार और ड्रॉपआउट दरों में कमी आई है (शर्मा, 2018; गुप्ता, 2019)। एसएमसी ने विद्यालय के भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि शौचालय का निर्माण, पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण (राय, 2017)। कुछ अध्ययनों ने यह भी बताया है कि सक्रिय एसएमसी ने समुदाय और विद्यालय के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद की है, जिससे शिक्षकों और छात्रों को सामुदायिक सहायता मिली है।

कई अध्ययनों ने एसएमसी की कार्यप्रणाली में गंभीर चुनौतियों की पहचान की है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है (वर्मा, 2020; मिश्रा, 2021)। अधिकांश एसएमसी सदस्यों को उनके अधिकार, कर्तव्य और विद्यालय विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, और शिक्षकों तथा एसएमसी सदस्यों के बीच सहयोग की कमी भी प्रमुख बाधाएँ हैं। कुछ अध्ययनों (कपूर, 2022) ने यह भी पाया है कि एसएमसी का प्रभाव सीधे तौर पर शिक्षण गुणवत्ता और सीखने के परिणामों पर उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि बुनियादी ढांचे या नामांकन पर।

विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) की भूमिका और कार्य-

विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालयी गुणवत्ता प्रबंधन की आधारशिला है, जिसे विशेष रूप से भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के कामकाज में समुदाय और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। विद्यालय प्रबंध समिति केवल एक सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि इसके पास विद्यालय के विकास, संचालन और निगरानी से संबंधित विशिष्ट वैधानिक कार्य और जिम्मेदारियां हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अनिवार्य कार्य-

आरटीई अधिनियम की धारा 21 विद्यालय प्रबंध समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपती है, जो सीधे तौर पर विद्यालयी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं:

1- विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) का निर्माण और निगरानी: यह विद्यालय प्रबंध समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एसडीपी एक त्रि-वार्षिक योजना होती है जो विद्यालय की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है, उसकी ज़रूरतों की पहचान करती है और अगले तीन वर्षों के लिए विकास के लक्ष्य निर्धारित करती है। इसमें भौतिक बुनियादी ढाँचा, शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षण सामग्री, सीखने के परिणाम और सामुदायिक भागीदारी जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। एसएमसी इस योजना का निर्माण समुदाय, शिक्षकों और छात्रों के परामर्श से करती है और इसकी नियमित रूप से निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। यह योजना विद्यालय को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है और सभी हितधारकों को साझा दृष्टिकोण के लिए एकजुट करती है।

2- विद्यालय अनुदान का उपयोग और प्रबंधन: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, विद्यालयों को विभिन्न मदों के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त होता है। विद्यालय प्रबंध समिति इस अनुदान के उचित और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड का रखरखाव, व्यय का लेखा-जोखा और समुदाय के सामने वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यालय को उपलब्ध संसाधन प्रभावी ढंग से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

3- शिक्षक उपस्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी: विद्यालय प्रबंध समिति को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हों और अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें। इसमें शिक्षकों के समय पर आगमन, छात्रों के साथ उनकी सहभागिता और उनके द्वारा अपनाई जा रही शिक्षण विधियों की निगरानी शामिल हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य शिक्षकों के शैक्षणिक मूल्यांकन या उन पर अनावश्यक दबाव डालना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। यह शिक्षकों की जवाबदेही तय करने में मदद करता है।

4- छात्र नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना: विद्यालय प्रबंध समिति यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे विद्यालय में नामांकित हों और नियमित रूप से उपस्थित हों। वे ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान करने, उन्हें वापस विद्यालय लाने और उनकी नियमित उपस्थिति के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा का अधिकार वास्तव में सभी बच्चों तक पहुँचे, विशेषकर वंचित वर्गों के बच्चों तक।

5- बच्चों के अधिकारों की निगरानी: विद्यालय प्रबंध समिति को यह सुनिश्चित करना होता है कि विद्यालय में सभी बच्चों के अधिकारों का सम्मान हो, जिसमें उन्हें शारीरिक दंड से मुक्ति, भेदभाव रहित वातावरण और समावेशी शिक्षा का अधिकार शामिल है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की पहचान करना और उनके लिए आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना भी विद्यालय प्रबंध समिति की जिम्मेदारी है। यह विद्यालय में एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहायक सीखने का माहौल बनाने में मदद करता है।

6- विद्यालय के कामकाज पर समुदाय को रिपोर्ट करना: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विद्यालय प्रबंध समिति को नियमित रूप से समुदाय को विद्यालय के कामकाज, वित्तीय स्थिति और प्राप्तियों के बारे में सूचित करना होता है। यह समुदाय का विश्वास जीतने और उन्हें विद्यालय के मामलों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

7- बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव: विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय के भौतिक बुनियादी ढांचे की पहचान करती है और उसके सुधार के लिए काम करती है। इसमें नई कक्षाओं का निर्माण, शौचालयों का रखरखाव, पीने के पानी की व्यवस्था, खेल के मैदानों का विकास और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं की स्थापना शामिल हो सकती है। वे स्थानीय समुदाय से संसाधनों को जुटाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं।

8- शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना: विद्यालय प्रबंध समिति यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि छात्रों के पास पर्याप्त पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सहायक सामग्री और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों। वे इन सामग्रियों की कमी को विद्यालय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ला सकते हैं।

9- स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी: विद्यालय प्रबंध समिति यह सुनिश्चित करती है कि विद्यालय में उचित स्वच्छता बनाए रखी जाए और मिड-डे मील जैसी योजनाएं गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक हों। वे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं।

10- समुदाय और विद्यालय के बीच सेतु का कार्य: विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। वे समुदाय की अपेक्षाओं और चिंताओं को विद्यालय तक पहुँचाते हैं और विद्यालय की ज़रूरतों और उपलब्धियों को समुदाय तक पहुँचाते हैं। यह सहयोगात्मक संबंध विद्यालय के प्रति समुदाय के स्वामित्व की भावना को बढ़ाता है।

11- अभिभावक-शिक्षक बैठकों में सक्रिय भागीदारी: विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य अभिभावक-शिक्षक बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, सीखने की चुनौतियों की पहचान करते हैं और शिक्षकों के साथ मिलकर समाधान खोजने में मदद करते हैं। यह छात्रों की प्रगति की सामूहिक निगरानी में सहायक होता है।

गुणवत्ता प्रबंधन में विद्यालय प्रबंध समिति की अप्रत्यक्ष भूमिका-

विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कई अप्रत्यक्ष तरीकों से भी विद्यालयी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं:

1- शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना: जब विद्यालय प्रबंध समिति सक्रिय रूप से शिक्षकों के प्रयासों का समर्थन करती है और उनकी समस्याओं को समझती है, तो इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। एक सहयोगी वातावरण शिक्षकों को अधिक समर्पित और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करता है।

2- छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना: एक ऐसी विद्यालय प्रबंध समिति जो विद्यालय के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वह छात्रों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और प्रेरक सीखने का वातावरण बनाने में सहायता करती है। इससे छात्रों की उपस्थिति, भागीदारी और सीखने की इच्छा बढ़ती है।

3- स्थानीय संसाधनों का एकीकरण: विद्यालय प्रबंध समिति समुदाय के भीतर मौजूद संसाधनों, चाहे वे मानवीय हों या भौतिक, को विद्यालय के लाभ के लिए जुटा सकती है। यह विद्यालय की ज़रूरतों को पूरा करने और उसे आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है।

4- सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना: जब समुदाय के सदस्य विद्यालय के निर्णयों और कार्यों में शामिल होते हैं, तो उनमें विद्यालय के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। यह स्वामित्व विद्यालय की बेहतर देखभाल, सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

चुनौतियाँ और बाधाएँ-

विद्यालयी गुणवत्ता प्रबंधन में विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही यह कई गंभीर चुनौतियों और बाधाओं से भी जूझ रही है, जो अक्सर इसकी प्रभावशीलता को कम कर देती हैं। इन चुनौतियों को समझना विद्यालय प्रबंध समिति को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है:

1- जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी: यह शायद सबसे बड़ी बाधा है। अधिकांश विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों, विशेषकर अभिभावक प्रतिनिधियों को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। उन्हें विद्यालय विकास योजना बनाने, वित्तीय प्रबंधन करने या सीखने के परिणामों की निगरानी करने का उचित प्रशिक्षण नहीं मिलता। इस जागरूकता और कौशल की कमी के कारण वे अक्सर अपनी भूमिका को केवल बैठकों में भाग लेने तक सीमित कर देते हैं, जिससे सक्रिय भागीदारी बाधित होती है।

2- पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव: कई विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति को मिलने वाले वित्तीय अनुदान के उपयोग में पारदर्शिता की कमी देखी जाती है। धन के व्यय का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता तथा सदस्यों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती। इससे सदस्यों में अविश्वास पैदा होता है और वे अपनी निगरानी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा नहीं पाते। जवाबदेही तंत्र का कमजोर होना भी अनियमितताओं को बढ़ावा देता है।

3- राजनीतिक हस्तक्षेप: स्थानीय राजनीति का विद्यालय प्रबंध समिति के गठन और कामकाज पर अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों का चुनाव राजनीतिक निष्ठा के आधार पर होता है, न कि उनकी योग्यता या विद्यालय के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर। इस प्रकार का हस्तक्षेप विद्यालय प्रबंध समिति को उसके मूल उद्देश्य से भटका सकता है और महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

4- शिक्षकों और एसएमसी सदस्यों के बीच सहयोग की कमी: विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों का एक वर्ग विद्यालय प्रबंध समिति को एक बाहरी इकाई या हस्तक्षेपकर्ता के रूप में देखता है, न कि एक सहयोगी के रूप में। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लेकर गलतफहमी या सम्मान की कमी के कारण उनके बीच सहयोग का अभाव होता है। शिक्षक अपनी पेशेवर विशेषज्ञता पर सवाल उठाए जाने पर असहज महसूस कर सकते हैं, जबकि विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य अपने सुझावों को अनसुना किए जाने पर हतोत्साहित हो सकते हैं।

5- लिंग और सामाजिक-आर्थिक कारक: विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं की 50% भागीदारी अनिवार्य है, लेकिन कई बार उनकी सक्रिय भागीदारी और आवाज़ उठाना ग्रामीण या पितृसत्तात्मक समाजों में चुनौतीपूर्ण होता है। इसी तरह, हाशिए के समुदायों या निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के सदस्यों को बैठकों में अपनी बात रखने या प्रभावी ढंग से योगदान करने में संकोच हो सकता है, जिससे समावेशी प्रतिनिधित्व का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है।

6- समय की कमी और प्रेरणा का अभाव: विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य, विशेषकर अभिभावक, अक्सर अपने दैनिक जीवन-यापन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके पास विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय की कमी होती है। इसके अतिरिक्त, स्वयंसेवी भूमिका होने के कारण, अक्सर प्रेरणा की कमी भी देखी जाती है क्योंकि उन्हें अपने प्रयासों के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन या मान्यता नहीं मिलती।

सुझाव और सिफारिशें

विद्यालय प्रबंध समिति की प्रभावशीलता बढ़ाने और विद्यालयी गुणवत्ता प्रबंधन में उसकी भूमिका को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव और सिफारिशें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं-

1- व्यापक प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण कार्यक्रम: यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, विशेषकर अभिभावक प्रतिनिधियों के लिए नियमित, लक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। इन सत्रों में आरटीई अधिनियम के प्रावधानों, विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, विद्यालय विकास योजना तैयार करने व निगरानी करने, वित्तीय प्रबंधन, बाल अधिकारों जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण को इंटरैक्टिव और स्थानीय भाषा में होना चाहिए ताकि उनमें बेहतर समझ विकसित किया जा सके।

2- पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ बनाना: वित्तीय प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। विद्यालय को प्राप्त होने वाले सभी अनुदानों और उनके उपयोग का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एसएमसी की बैठकों के कार्यवृत्त को नियमित रूप से लिपिबद्ध किया जाना चाहिए और सभी सदस्यों के लिए सुलभ होना चाहिए। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एसएमसी के कार्यों की नियमित ऑडिटिंग और मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

3- सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना: विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के बीच पारस्परिक सम्मान और सहयोग का वातावरण विकसित करना महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को विद्यालय प्रबंध समिति को एक सहयोगी शक्ति के रूप में देखना चाहिए, न कि एक निगरानी इकाई के रूप में। नियमित संयुक्त बैठकें, कार्यशालाएँ और खुले संवाद के मंच स्थापित किए जाने चाहिए ताकि वे विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकें।

4- नीतिगत सुधार और पर्याप्त वित्तीय संसाधन: राज्य सरकारों को विद्यालय प्रबंध समिति के लिए पर्याप्त और समय पर वित्तीय संसाधनों का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। बजट आवंटन को विद्यालय की वास्तविक ज़रूरतों और विद्यालय विकास योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विद्यालय प्रबंध समिति को अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करने हेतु नीतिगत ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए।

5- जागरूकता अभियान और सामुदायिक जुड़ाव: समुदाय और अभिभावकों को विद्यालय प्रबंध समिति के महत्व, उसके कार्यों और विद्यालयी गुणवत्ता में उनकी भूमिका के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं और हाशिए के समुदायों के सदस्य विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित हों।

6- प्रोत्साहन और मान्यता: सक्रिय और प्रभावी विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों को उनके योगदान के लिए मान्यता और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। यह सम्मान समारोहों, प्रमाण पत्रों या उनकी सफलता की कहानियों को साझा करने के माध्यम से हो सकता है। यह न केवल वर्तमान सदस्यों को प्रेरित करेगा बल्कि दूसरों को भी सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

7- डिजिटल उपकरणों का उपयोग: निगरानी, रिपोर्टिंग और संचार को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाया जा सकता है। विद्यालय प्रबंध समिति बैठकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप या मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और सदस्यों के बीच जुड़ाव को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन केवल एक वैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक शक्तिशाली तंत्र है। विद्यालय प्रबंध समिति प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय विकास योजना के निर्माण, वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करती है। परोक्ष रूप से, यह शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाती है, समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित करती है, और विद्यालय के लिए एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करती है। हालांकि, एसएमसी की पूर्ण क्षमता का एहसास अभी बाकी है। जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी, पारदर्शिता का अभाव, सीमित वित्तीय संसाधन और शिक्षकों व समुदाय के बीच सहयोग की कमी जैसी चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, व्यापक प्रशिक्षण, बेहतर जवाबदेही तंत्र, पर्याप्त संसाधन आवंटन और सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। एक सशक्त और सक्रिय विद्यालय प्रबंध समिति ही भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. एएसईआर (एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट) 2024। प्रथम् एजुकेशन फाउंडेशन।
2. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम (डीपीईपी) डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स।
3. गोविंदा, आर., एवं बंड्योपाध्याय, एम. (2010)। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ इन इंडिया: ए स्टडी ऑफ देयर फंक्शनिंग। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए)।

4. गुप्ता, एस. (2019)। रोल ऑफ एसएमसीज़ इन स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी-स्कूल लिंकेजेज़: ए केस स्टडी फ्रॉम बिहार। इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 4(2), 88–99।
5. जैन, एम. (2023)। एम्पावरिंग मार्जिनलाइज़्ड वॉइसेज़: द रोल ऑफ विमेन इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़। जेंडर एंड एजुकेशन स्टडीज़, 5(1), 67–80।
6. कपूर, ए. (2022)। इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ ऑन लर्निंग आउटकम्स: ए कम्पेरेटिव स्टडी। जर्नल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड रिफॉर्म, 6(1), 34–48।
7. कुमार, ए. (2012)। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ इन इंडिया: चैलेंजेज़ एंड ऑपर्च्युनिटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी एजुकेशन। जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 26(3), 257–270।
8. मिश्रा, आर. (2021)। चैलेंजेज़ फेस्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ इन प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन ओडिशा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज़ एंड एजुकेशन, 7(3), 201–215।
9. पाल, एस. (2016)। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़: इश्यूज़ एंड प्रॉस्पेक्ट्स। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एजुकेशन, 9(2), 112–125।
10. राय, पी. (2017)। स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़: द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ इन दिल्ली। एजुकेशन फॉर ऑल क्वार्टरली, 10(4), 45–56।
11. शर्मा, एन. (2018)। इम्पैक्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन इन एलिमेंटरी स्कूल्स ऑफ राजस्थान। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज़, 8(5), 123–135।
12. सिंह, आर. (2015)। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल मैनेजमेंट: ए स्टडी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ इन उत्तर प्रदेश। (अनपब्लिश्ड पीएच.डी. थीसिस)। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ।
13. श्रीवास्तव, वी. (2010)। क्वालिटी एजुकेशन: ए स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन इंडिया। रावत पब्लिकेशन्स।
14. यूनेस्को। (2014)। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल: ए ह्यूमन राइट्स बेस्ड एप्रोच। यूनेस्को पब्लिशिंग।
15. वर्मा, के. (2020)। अवेयरनेस एंड फंक्शनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ इन रूरल एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश। जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 12(1), 76–89।
16. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy, 2020). शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
17. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (The Right to Education Act, 2009). भारत का राजपत्र, असाधारण।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.